प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
फतेहपुर।

10/2/2022

संख्या मु0चि0अ0 / तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2022 / 4396 दिनांक फरवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 महामारी के संकमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/04/2021 एवं0 सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन मे सार्वजनकि स्थानो एवं कार्यालयो मे धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र सं0 राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375 लखनऊ दिनांक 29/07/2020 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9438 लखनऊ दिनांक 28/01/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 संकमण के दृष्टिगत कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान एवं पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूकने पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निर्देश दिया गया था।

जैसा कि आप अवगत है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, तथा थूकने को प्रेरित करते हैं, जिससे कोविड–19 संकमण फैलने का खतरा बढ़ता है।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनदेश 381 / 2020 / सी0एक्स–3, दिनांक 03 मई, 2020 एवं शासनादेश 786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयो मे तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित एवं कोविड–19 के संकमण के फैलने के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूकने को प्रतिबंधित किया जा चुका है तथा पूर्व मे भी माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानो मे तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अवगत कराना है कि गृहमंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 40–3 / 2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 20 अप्रैल 2021 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–05 पत्र सं0 715 / पॉच–5–2021, दिनांक 20 अप्रैल 21 द्वारा जारी अधिसूचना मे संशोधित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने एंव धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु आई0पी0सी0 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं कोटपा अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भ व दी य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फतेहपुर।

पृं0 सं0 मु0चि0अ0 / तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2022 / तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2 राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यकम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3 जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4 मुख्य विकास अधिकारी, फतेहुपर।
5 अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फतेहपुर।